



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122024-259121  
CG-DL-E-03122024-259121

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4798]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2024/अग्रहायण 11, 1946

No. 4798]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2024/AGRAHAYANA 11, 1946

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2024

का.आ. 5190(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा साइबर न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, नौसेना साइबर समूह, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), चौथी मंजिल, चाणक्य भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात:

- (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायिक विज्ञान - फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर;  
(ख) मोबाइल उपकरण न्यायिक विज्ञान

उपरोक्त अधिसूचना के साथ, पहले प्रकाशित दिनांक 29 अगस्त, 2022 की गजट अधिसूचना संख्या का.आ. 4167(अ), असाधारण, भाग II-खंड 3-उप खंड (ii), को केंद्रीय सरकार द्वारा निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. 2(5)/2021-सी.एस.डी]

अभिषेक सिंह, अपर सचिव

---

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2024

**S.O. 5190(E).**—In exercise of the powers conferred by section 79A of the information Technology Act 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies **Cyber Forensics Laboratory, Navy Cyber Group, Naval Hqs, Ministry of Defence (Navy), 4th Floor Chanakya Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi** as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely: -

- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;
- (b) Mobile Devices Forensics.

With aforesaid notification, earlier published gazette notification No. S.O. 4167(E) dated 29<sup>th</sup> August, 2022, Extraordinary, Part II- Section 3 - Sub-section (ii), is rescinded by central Government.

[F. No. 2 (5)/2021-CSD]

ABHISHEK SINGH, Addl. Secy.